कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर (म0प्र0)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर जिला–बुरहानपुर (म0प्र0)
Phone No. 07325-254681 E-mail Id:- awmburkhd@nic.in

क्रमांक/मण्डी/रा.कृ.बा./2017–18/2213 बुरहानपुर दिनांक 13/9/2017

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर द्वारा संचालित ''राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना'' हेतु प्रदेश की विधि अनुसार पंजीकृत मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से 04 (चार) मानव संसाधन/कम्प्यूटर प्रशिक्षित ऑपरेटर जिसकी अहर्ता जो म.प्र. शासन की मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर संचालन का डिप्लोमा, डिग्री पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो एवं 01 (एक) ग्रेडर जो कि विज्ञान विषय में स्नातक हो पूर्णतः अस्थायी रूप से अधिकतम 05 (पांच) माह की अवधि के लिए जिला–कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर ठेके पर लिये जाना है; आवश्यकता होने पर ठेके की अवधि, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की अनुमति से बढाई जा सकेगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 2,000/– निर्धारित है; यह राशि नगद अथवा बैंक ड्राप्ट द्वारा शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवस में लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात निविदा प्रपत्र दिनांक 04/10/2017 तक समय सायंकाल 05:00 तक प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदाकार मानव संसाधन प्रदायक संस्था को धरोहर राशि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के पक्ष में रूपये 20,000/– की बैंक एफ.डी.आर. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। उक्त निविदाऍं तीन लिफाफा पद्धति में निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 06/10/2017 को सायं 05:30 बजे तक मण्डी कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, शनवारा, खण्डवा रोड बुरहानपुर में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त किये जावेंगे, प्राप्त निविदाऍं दिनांक 07/10/2017 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मण्डी कार्यालय में खोले जावेंगे। निविदाकार मानव संसाधन प्रदायक संस्था की 05 (पांच) प्रतिशत से कम **''सर्विस भार''** की निविदा एवं सशर्त निविदा अमान्य होगी। शेष विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में ''राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शाखा'' में देखी जा सकती है। शर्तों के अनुरूप ही निविदा होने पर मान्य की जावेंगी। निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य शर्तें मण्डी बोर्ड की वेबसाईट www.mpmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है।

(रमकीबाई दवलसिंह)
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर (म.प्र.)

(पुरूषोत्तम शर्मा)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
बुरहानपुर (म.प्र.).

(मंडी में कृषि उपज बेचे वह चतुर किसान, सही तौल समय पर भुगतान)

08– मानव संसाधन प्रदायक संस्था का उत्तरदयित्व होगा कि, वह अपने कर्मियों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय–समय पर कुशल/अर्द्ध कुशल दर पर नियमानुसार एवं विधि सम्मत पारिश्रमिक का ही भुगतान करेगी। जिसकी प्रतिपूर्ति मण्डी समिति, द्वारा की जावेंगी। मानव संसाधन प्रदायक संस्था प्रत्येक कर्मी को प्रति माह वेतन स्लीप अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा। यदि कम वेतन भुगतान या समय पर भुगतान नही करने या वेतन स्लीप प्रदाय नही करने की शिकायत प्राप्त होती और प्रमाणित पाई जाती है, तब मानव संसाधन प्रदायक संस्था का यह कृत्य विधि विपरित मानते हुए, मण्डी समिति, के द्वारा कार्यवाही की जावेंगी।

09– समस्त वैधानिक भुगतान जैसे ई.पी.एफ. अंशदान, ई.एस.आई. अंशदान मानव संसाधन प्रदायक संस्था के स्वीकृत ''सेवा प्रभार'' के अतिरिक्त देय होगा, जिनकी पूर्ति मण्डी समिति के द्वारा की जावेंगी।

10– मानव संसाधन प्रदायक संस्था के द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम एवं तद्समय प्रचलित वैधानिक नियम के तहत स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर/प्रभार काटा जावेंगा।

11– मानव संसाधन प्रदायक संस्था सभी कर्मियों कों अपने परिचय–पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा, तथा परिचय–पत्र की छायाप्रति मण्डी समिति को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना होगा, तथा दैनिक उपस्थिति के लिए थंब इम्प्रेशर (Biometric) पद्धित का उपयोग किया जावेगा।

12– मानव संसाधन प्रदायक संस्था के द्वारा मण्डी समिति, में पदस्थ समस्त कर्मियों कें पारश्रमिक का भुगतान kyc धारित Account में NEFT/RTGS/ अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जावेंगा, नगद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेंगा।

13– निविदा का मानव संसाधन प्रदायक संस्था की 05 (पॉच) प्रतिशत से कम '' सर्विस प्रभार'' की निविदा अमान्य होगी।

14– उपरोक्त कर्मियों (मानव संसाधन) को प्रशिक्षण अथवा अन्य कार्य से बोर्ड मुख्यालय अथवा सम्भागीय कार्यालयों में बुलाये जाने पर मात्र यात्रा किराया ही उपस्थिति–प्रमाण–पत्र कें आधार पर भुगतान किया जावेंगा।

15– उपरोक्तानुसार नियोजित ''मानव संसाधन'' पर होने वाला समस्त व्यय मण्डी समिति के द्वारा '' मण्डी निधि'' से व्यय किया जावेंगा।

(रमकीबाई दवलसिंह)
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर (म.प्र.)

(पुरूषोत्तम शर्मा)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
बुरहानपुर (म.प्र.)

(मंडी में कृषि उपज बेचे वह चतुर किसान, सही तौल समय पर भुगतान)